



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 15.09.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 15.09.2026 को 01 अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना-इकदिल

मा0 न्याया0एसीजेएम-5 कोर्ट इटावा द्वारा 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 2,000-2,000 /-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव** द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना इकदिल पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते **मा0 न्याया0एसीजेएम-5 कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त गणों को 03 -03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 2,000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

संक्षिप्त विवरण:- थाना इकदिल क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्तगण 1. अशोक कुमार पुत्र रामचन्द्र 2. सरोज कुमारी पत्नी स्व0 हरी सिंह नि0गण देसरमऊ थाना इकदिल जनपद इटावा द्वारा वादी की माँ के साथ लाठी डंडों से मारपीट करना जिससे वादी की मां के सिर में चोट व फ्रेक्चर हो जाने के सन्दर्भ में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना इकदिल पर दिनांक 18.09.2005 को **मु0अ0सं0 C-48/2005 धारा- 323/325/504/506 भादवि में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में **विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री सुरेश कुमार यादव** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार **का0 श्यामपाल व मानीटरिंग सैल टीम व एपीओ श्री संजय सिंह** द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 15.09.2026 को अन्तर्गत **मु0अ0सं0 C-48/2005 धारा 323/325/504/506 भादवि में मा0 न्याया0एसीजेएम-5 कोर्ट इटावा द्वारा 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 2,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. अशोक कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी देसरमऊ थाना इकदिल जनपद इटावा।
2. सरोज कुमारी पत्नी स्व0 हरी सिंह निवासी देसरमऊ थाना इकदिल जनपद इटावा।